(वाद संख्या–983/17)

29.08.2019

परिवादी स्नेहा, अपने ज्येष्ठ भ्राता, आलोक कुमार श्रीवास्तव के साथ उपस्थित है।

परिवादी का कथन है कि उसकी ओर से आयोग में जो परिवाद दिया गया है, उक्त परिवाद–पत्र में उसका पता अधूरा है। परिवादी की ओर से अनुरोध किया गया है कि भविष्य में आयोग द्वारा उसके निम्नलिखित पते पर पत्राचार किया जायः–

''स्नेहा
पिता– स्व0 चन्द्रशेखर श्रीवास्तव
द्वारा– आलोक कुमार श्रीवास्तव
मिठनपुरलाला, विवेक बिहार कॉलोनी के सामने, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर (बिहार), पो0– रमना, पिन–842002''

परिवादी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कार्यालय को यह निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में प्रस्तुत मामले में परिवादी के उपरोक्त पते से ही पत्राचार किया जाय।

प्रस्तुत मामला गलत तरीके से कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाकर परिवादी के परिवार के सदस्यों को छः अलग–अलग कांडों में मिथ्या व दुराशयपूर्ण भावना से फंसाये जाने से संबंधित है।

परिवादी के उपरोक्त आशय के परिवाद–पत्र पर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से अनुरोध किया गया तथा उन्हें इस निमित पांच बार स्मारित भी किया गया, लेकिन अभी तक वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर की ओर से वांछित प्रतिवेदन आयोग को समर्पित नहीं किया गया है।

कार्यालय, परिवादी के परिवाद–पत्र (पृ0–17–1/प0) की प्रति संलग्न कर वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से उपरोक्त में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में दिनांक–09.12.2019 के पूर्व आयोग को प्रतिवेदन देने हेतु इस निर्देश के साथ पत्र निर्गत किया जाय कि, अगर उक्त तिथि को उनकी ओर से उपरोक्त वांछित प्रतिवेदन आयोग को समर्पित नहीं किया जाता है तो आयोग को वाध्य होकर उनके व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु आदेश पारित करने के साथ–साथ भा0द0सं0 की धारा 176 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु आदेश देने हेतु वाध्य हो जाना पड़ेगा।

आज परिवादी एवं उसके ज्येष्ठ भ्राता की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

अगली निश्चित तिथि को परिवादी आयोग के समक्ष उपस्थित रहेंगी।

संचिका दिनांक–16.12.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक